REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 6, 2018/माघ 17, 1939
No. 48]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 6, 2018/MAGHA 17, 1939

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2018

फां. सं. 2–4/2015 (डी.ई.बी–III).–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ञ) के साथ पठित धारा 26 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय

संशोधन विनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में (इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा),-

(क) विनियम में 3, के उप-विनियम (1) में उप खंड (viii) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत:--

''(viii) उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् के 4 प्वाइंट स्केल पर न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 3.26 के साथ वैध प्रत्यायन है तथा इसने अपने अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों।

बशर्तै कि, उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कि या तो राज्य अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य निजी विश्वविद्यालय होते हैं तथा उन्हें शिक्षा सत्र 2017–18 के लिए मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें शिक्षा सत्र 2019–20 तक मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने की अनुमति होगी ताकि वे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा विहित गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों को प्राप्त कर सकें।

बशर्तैं आगे कि उक्त श्रेणी में आने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायित नहीं हैं, ऐसे संस्थान इस विनियम के जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे। बशर्तैं आगे कि यह उप खंड मुक्त विश्वविद्यालयों पर लागू नहीं होगा, जब तक कि वे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं हो जाते हैं और मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्यायन हेतु पात्र होने के एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से प्रत्यायन प्राप्त करें।

बशर्तै आगे कि केन्द्र सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित संस्थान, मौजूदा मानित विश्वविद्यालय के यथासंशोधित विनियमों के साथ ही इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों की पेशकश करेंगे।

बशर्ते आगे कि उच्चतर शिक्षा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षा वर्ष 2017–18 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पाठयक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विशिष्ट पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए विशिष्ट अनुमति प्रदान किए जाने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक ऑफ कैम्पस तथा अध्ययन केन्द्र का निरीक्षण किए जाने तथा संतोषजनक अवस्था में पाए जाने के अध्यधीन शिक्षा वर्ष 2019–20 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, तथा यह अनुमोदन पाठ्यक्रम विशिष्ट होगा।

बशर्ते आगे कि इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले मानित विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से प्रत्यायित नहीं हैं वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के लागू होने से तीन माह की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे।''

(ख) विनियम 3 में उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नवित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

''(2) कोई भी उच्चतर शिक्षा संस्थान, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 2018 के लागू होने के तुरंत बाद तथा उसके पश्चात् के वर्षों के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने का इच्छुक हो, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अगले शिक्षा सत्र तथा उसके बाद के वर्षों के लिए पाठयक्रम संचालित करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्विष्ट प्रपत्र में ऑन—लाइन आवेदन करेंगे तथा उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ इसे ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा पेशकश किए जाने वाले भावी पाठयक्रम के शिक्षा सत्र के आरंभ होने से कम से कम छह माह पूर्व विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने विवेकानुसार केवल जुलाई, 2018 से जून, 2019 के शिक्षा सत्र के लिए इस अवधि में छुट प्रदान कर सकता है।

उक्त विनियमों में विनियम 19 के उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नवत उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

''(2) स्टैंण्डालोन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाणपत्र अथवा डिप्लोमा अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिन्हें शिक्षा वर्ष 2016–17 तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की तत्कालीन दूरस्थ शिक्षा परिषद् की नीतियों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी अनुमोदन प्रदान किया गया है, वे शिक्षा सत्र 2017–18 तक शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ पद्धति के क्षेत्र में वैध पाठ्यक्रम बने रहेंगे और तत्पश्चात् इन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विनियमों के प्रयोजनार्थ वे अपने स्टैंण्डालोन संस्थान के दर्ज को विश्वविद्यालय अथवा किसी मौजूदा विश्वविद्यालय की संघटक इकाई अथवा संस्थान में परिवर्तित करवा सकते हैं, ऐसा नहीं किए जाने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्टैंण्डालोन संस्थानों के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा।''

4. उक्त विनियमों में विनियम 20, के पश्चात् विनियम 21 को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"21. कठिनाइयों का निवारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय से परामर्श करके इन विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली समस्याओं / कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है''।

पी. के. ठाकुर, सचिव

[विज्ञापन–III / 4 / असा. / 420 / 17]

नोट : मूल विनियम, फा. सं. 2–4/2015 (डी.ई.बी–III) तथा दिनांक 11 अक्तूबर, 2017 को अंतिम बार संशोधित, फा. सं. 2–4/2015 (डी.ई.बी–III) के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–III, में प्रकाशित हुए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2018

F. No. 2–4/2015 (DEB-III).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations further to amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Second Amendment Regulations, 2018.
 - (2) These shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the said regulations),- (a) in regulation 3, in sub-regulation 1, for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(viii) The Higher Educational Institution has valid accreditation from National Assessment and Accreditation Council with minimum Cumulative Grade Point Average of 3.26 on a 4 point scale and has completed five years of existence:

Provided that the Higher Educational Institutes that are either State or Central or State Private Universities and were given permission by the University Grants Commission to offer programmes in open and distance learning mode for the academic session 2017-18 will be allowed to impart Open and Distance Learning education till the academic session 2019-20 to enable them reach the prescribed quality National Assessment and Accreditation Council benchmark.

Provided further, that the Higher Educational Institutes falling in the above category but currently not accredited with National Assessment and Accreditation Council shall apply for National Assessment and Accreditation Council accreditation within three months from the date of issue of this regulation.

Provided further, that this clause shall not be applicable to Open Universities till the time they become eligible for National Assessment and Accreditation Council accreditation and it shall be mandatory for Open Universities to get National Assessment and Accreditation Council accreditation within one year of their becoming eligible for the same.

Provided further, that an institution Deemed to be a University so declared by the Central Government shall offer the Open and Distance Learning courses or programmes as per the extant Deemed to be a University Regulations and also notified by the University Grants Commission from time to time in the matter.

Provided further that the higher education institutions which are Deemed to be Universities and were given permission by the University Grants Commission to offer programme in open and distance learning mode for the academic year 2017-18 shall be permitted to impart Open and Distance Learning education till the academic session 2019-20 to enable them reach the specified quality National Assessment and Accreditation Council benchmark subject to University Grants Commission specifically allowing the Deemed to be University to conduct Open and Distance Learning courses for specific programmes and after the off campus centres, study centres are individually inspected and found adequate by the University Grants Commission and the approval will be course specific.

Provided further, Deemed to be Universities falling in this category and currently not accredited with National Assessment and Accreditation Council shall apply for National Assessment and Accreditation Council accreditation within three months from the commencement of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Second Amendment Regulations, 2018."

(b) In regulation 3, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) A Higher Educational Institution intending to offer a programme in Open and Distance Learning mode for academic session immediately after the commencement of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Second Amendment Regulations, 2018 and for subsequent years shall, notwithstanding that it has obtained permission from the then Distance Education Council or by the Commission for offering a programme in Open and Distance learning mode for next coming academic session and for subsequent years, shall make an on-line application in the format specified by the Commission, and upload the same on the specified portal along with scanned copy of the documents specified therein, at least six months before the commencement of the academic session of the programme intended to be offered by such Higher Educational Institution. However, the Commission may relax this period of six months at its discretion only for the academic session July 18 - June 19."

3. In the said regulations, in regulation 19, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Certificates or Diplomas or Post Graduate Diplomas awarded by the Standalone Institutions which also have been approved by the Commission based on the policies of the then Distance Education Council of the Indira Gandhi National Open University for running Open and Distance Learning programmes till the academic year 2016-17 shall remain valid programmes in the field of Open and Distance Learning mode of education till the academic session 2017-18 and thereafter they shall be free to get converted their Standalone Institution status to University or constituent unit or institute of an existing university for the purpose of these Open and Distance Learning regulations, failing which, the Commission shall not accord any approval to the Open and Distance Learning programmes of Standalone Institutions."

4. In the said regulations, after regulation 20, regulation 21 shall be inserted, namely:-

"21. Removal of difficulty

UGC reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementation of these Regulations in consultation with the Government of India, Ministry of Human Resource Development."

P.K. THAKUR, Secy. (UGC)

[ADVT.-III/4/Exty./420/17

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-III, dated the 23rd June, 2017 *vide* F. No. 2-4/2015 (DEB-III) and last amended *vide* F. No. 2-4/2015 (DEB-III) dated the 11th October 2017.